CGDH070001962023

Presented on : 15-12-2023
Registered on : 13-03-2024
Decided on : 14-01-2026
Duration : 2 years, 0 months, 30 days

# न्यायालय–अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धमतरी के अतिरिक्त अधिकरण स्थान–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.)
## (पीठासीन अधिकारी–राधेश्याम ध्रुव)

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक–42/2024
संस्थित दिनांक–15/12/2023

1. **भूमिका साहू,** पति–स्व. बिरेन्द्र साहू, उम्र–32 वर्ष,
2. **चंदन साहू,** पिता–स्व. बिरेन्द्र साहू, उम्र–08 वर्ष,
3. **दीपांशु साहू,** पिता–स्व. बिरेन्द्र साहू, उम्र–05 वर्ष,
4. **संदीप साहू,** पिता–स्व. बिरेन्द्र साहू, उम्र–01 वर्ष,
   क्र. 02 से 04 नाबालिक वली माँ भूमिका साहू,
   पति–स्व. बिरेन्द्र साहू, उम्र–32 वर्ष,
5. **भगवती साहू,** पति–गौकरण साहू, उम्र–55 वर्ष,
6. **गौकरण साहू,** पिता–केजूराम साहू, उम्र–60 वर्ष,
   सभी निवासी ग्राम व पोस्ट भेण्डरी, थाना मगरलोड,
   जिला–धमतरी (छ.ग.) ............ **आवेदिकागण**

**बनाम**

1. **रविशंकर दिवाकर**, पिता–प्रभुराम दिवाकर, उम्र–31 वर्ष,
निवासी– एस.सी. गुप्ता सोनमुरा तालाब काली
मंदिर रायगढ़, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)
**(दुर्घटनाकारित वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 का चालक एवं स्वामी)**

2. **बजाज आलियांज** जनरल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड,
द्वितीय मंजिल शिव मोहन भवन विधानसभा रोड,
पंडरी रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
**(दुर्घटनाकारित वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 का बीमाकर्ता)**

........... **अनावेदकगण**

---

आवेदिकागण द्वारा श्री महेन्द्र देवांगन, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा श्री के.डी. गजेन्द्र, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा श्री नरेश डिंगरे, अधिवक्ता ।

---

**–अधिनिर्णय–**

**(आज दिनांक 14/01/2026 को घोषित)**

**01.** आवेदिकागण ने यह दावा आवेदन अंतर्गत धारा–166 मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं सहपठित धारा 140 संशोधित मोटरयान अधिनियम, 1994 के तहत दिनांक 02.05.2023 हो हुई वाहन दुर्घटना में

बिरेन्द्र साहू की मृत्यु से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति राशि 72,50,000/– रूपये (अक्षरी बहत्तर लाख पचास हजार रूपये मात्र) मय ब्याज अनावेदकगण से दिलाये जाने हेतु पेश किया है।

**02.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि अनावेदक क्रमांक 01 (दुर्घटनाकारित वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 का चालक एवं स्वामी) एवं अनावेदक क्रमांक 02 (दुर्घटनाकारित वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 का बीमाकर्ता) है।

**03.** आवेदिका क्रमांक 01 मृतक की पत्नी, आवेदक क्रमांक 02 से 04 मृतक का पुत्र, आवेदिका क्रमांक 05 मृतक की माँ, आवेदक क्र. 06 मृतक के पिता है, जिन्होंने मृतक पर आश्रित होने का अभिवचन करते हुये यह दावा पेश किया है।

**04.(i).** आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि – घटना दिनांक 02.05.2023 को मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 के चालक द्वारा अपने उक्त मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिरेन्द्र साहू के मोटर सायकल क्रमांक CG 04/DV/4969 को पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे बिरेन्द्र साहू मोटर सायकल से उछलकर सामने की ओर गिरने पर गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना–मगरलोड में की गयी। अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध अपराध क्रमांक 195/2023 धारा 279, 337, 304(ए) भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

**04 (ii).** आवेदन में यह भी लेख किया गया है, कि दुर्घटना के समय बिरेन्द्र साहू, उम्र–35 वर्षीय हृष्ट–पुष्ठ व्यक्ति था। बिरेन्द्र साहू मृत्यु के पूर्व राजमिस्त्री का कार्य कर प्रतिमाह लगभग 15,000/– रूपये खर्च काटकर शुद्ध आमदनी प्राप्त कर लेता था तथा उक्त राशि से अपने व अपने परिवार का भरण पोषण देखरेख आदि करता था। अतः आवेदिकागण ने अनावेदकगण से मृतक की मृत्यु की क्षतिपूर्ति स्वरूप विभिन्न मदों में कुल 72,50,000/– रूपये (अक्षरी बहत्तर लाख पचास हजार रूपये मात्र) मय ब्याज दिलाए जाने हेतु निवेदन किया है।

**05.** अनावेदक क्रमांक 01 ने जवाबदावा पेश करते हुए आवेदन पत्र के तात्विक अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 कुशल वाहन चालक है तथा वैध लाईसेंसधारी है तथा घटना दिनांक 02.05.2023 को वाहन मोटर सायकल का अनावेदक क्रमांक 01 पंजीकृत अनुज्ञप्तिधारी चालक है तथा उक्त वाहन घटना दिनांक को बीमाकृत था। अगर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर विधिवत् दावा आवेदन को प्रमाणित पाता है तो ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध आवेदिकागण को क्षतिपूर्ति राशि देने का अवार्ड पारित किया जावे।

**06.** अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी ने जवाबदावा पेश कर आवेदन पत्र के तात्विक अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये विशेष कथन किया है कि दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 01 के पास मोटर सायकल क्रमांक CG 04/DV/4969 को चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था तथा बीमा पॉलिसी में दिये गये निहित शर्तों के विपरीत उल्लंघन कर वाहन का उपयोग किया जा रहा था। दुर्घटना के समय मृतक मोटरयान अधिनियम के

प्रावधानों के विरुद्ध बिना हेलमेट के वाहन का चालन कर रहा था । उक्त दुर्घटना मृतक के स्वयं की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण घटित हुई है । संबंधित थाना द्वारा दुर्घटना होने की सूचना एवं दस्तावेज 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिये अनोवदक क्रमांक 02 किसी भी क्षति के लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। उपरोक्त दुर्घटना में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू होता है। प्रकरण के लंबनकाल के दौरान आवेदक के द्वारा अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है तब उस स्थिति का उसे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः अनोवदक क्रमांक 02 को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन को सव्यय निरस्त किया जावे।

**07.** आवेदिकागण के अधिवक्ता ने तर्क किया कि दुर्घटना में अनावेदक क्रमांक 01 की लापरवाही थी। आवेदिकागण ने अनावेदक क्रमांक 01 की उपेक्षा व लापरवाही से वाहन चलाना प्रमाणित किया है। अतः आवेदिकागण को दावा आवेदन पत्र अनुरूप क्षतिपूर्ति दिलायी जावे।

**08.** अनावेदक क्रमांक 01 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि दुर्घटना मृतक के लापरवाही के कारण हुआ है। प्रश्नगत वाहन के चालन के समय अनावेदक क्रमांक 01 के पास वैध और प्रभावी ड्रायविंग लाईसेंस रहा है तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 के पास बीमित रही है। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा मोटर यान नियम के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रश्नगत वाहन चलाया गया है। अतः प्रश्नगत वाहन के चालन के समय बीमा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का

दायित्व अधिकरण पाती है, तो उसके भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी का होगा।

**09.** अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 01 के लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई है तथा दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 के पास प्रश्नगत वाहन का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाईसेंस नहीं था। अतः बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त किया जावे।

**10.** उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्नों की रचना की गयी, जिनके समक्ष विवेचना उपरान्त निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :–

| **क्रं.** | **वाद प्रश्न** | **निष्कर्ष** |
|---|---|---|
| 01. | क्या अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा घटना दिनांक 02.05.2023 को ग्राम–नवागांव, थाना–मगरलोड, जिला–धमतरी (छ.ग.) में वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मोटर सायकल क्रमांक CG 04/DV/4969 को दुर्घटनाकारित करने से बिरेन्द्र साहू की मृत्यु कारित किया ? | **“हां”** |
| 02. | क्या घटना दिनांक को मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 अनावेदक क्रमांक 02 “बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड” से बीमाकृत थी ? | **“हां”** |

| | | |
|---|---|---|
| 03. | क्या घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 के पास वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 को चलाने का वैध एवं प्रभावशील चालन अनुज्ञप्ति था ? | **“हां”** |
| 04. | क्या घटना दिनांक को वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 को अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बीमा पॉलिसी के शर्तों के उल्लघंन में चलाया जा रहा था ? | **“प्रमाणित नहीं”** |
| 05. | क्या उक्त दुर्घटना मृतक बिरेन्द्र साहू की योगदायी उपेक्षा के कारण घटना हुई है ? | **“प्रमाणित नहीं”** |
| 06. | क्या आवेदिकागण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है ? यदि हां तो किससे एवं कितना ? | “आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथक–पृथक 23,13,000/– (अक्षरी तेईस लाख तेरह हजार रूपये मात्र) रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है।" |
| 07. | सहायता एवं वाद व्यय ? | अधिनिर्णय की कंडिका 31 के अनुसार |

## ।। वाद प्रश्न क्रमांक 01 पर सकारण निष्कर्ष ।।

**11.** आवेदिकागण ने इस संबंध में भूमिका साहू (अ.सा.–01) एवं साक्षी चोवाराम साहू (अ.सा.–02) का परीक्षण कराया है तथा अपने दावा

आवेदन के समर्थन में अभियोगपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01 से प्र.पी.16 तक का दस्तावेज पेश किया है।

**12.** भूमिका साहू (आ.सा.–01) ने अपने शपथपत्रीय साक्ष्य आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं. में कथन किया है, कि घटना दिनांक 02.05.2023 को उसके पति बिरेन्द्र साहू अपने मोटर सायकल क्रमांक CG 04/DV/4969 में अपने चाचा चोवाराम के साथ पुराने मकान के छत, बीम तोड़ने के लिए ग्राम गोबरा नवापारा गये थे, उसी दिनांक को दोनों अपने गृह ग्राम भेण्ड्री आ रहे थे, तभी शाम 7.30 बजे ग्राम–नवागावं बारदाना के पास मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 के चालक/अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने उक्त वाहन को बहुत तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे तरफ से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसके पति अनियंत्रित होकर सामने उछलकर गिर गया, जिससे उसके सिर एवं शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई । घटना के पश्चात उपचार हेतु उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा ले जाया गया, चोटों को गंभीरता को देखते हुए उसे मेकाहारा अस्पताल रायपुर रिफर किया गया उसके पश्चात अग्रिम उपचार के लिए डी.के.एस. अस्पताल रायपुर रिफर किया गया जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गया । मृतक के परिवार मृतक पर पूर्ण रुप से आश्रित थे । मृतक की पत्नी के उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी चोवाराम साहू (अ.सा.–02) ने करते हुए कथन किया है।

**13.** आवेदिका भूमिका साहू (आ.सा.–01) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है, कि उसने घटना होते हुए नही देखी है , और न ही घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है किन्तु साक्षी चोवाराम (आ.सा.–02)

के अभिसाक्ष्य से यह प्रकट है, कि वह घटना के समय मृतक के मोटर सायकल में पीछे बैठा हआ था । आवेदिकागण ने अपने पक्ष समर्थन में अभियोग पत्र की प्रतिलिपि पेश किया है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं 03, नजरी नक्शा प्र.पी.05, मर्ग सूचना प्र.पी.04, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी०– 6, शव परीक्षण प्रतिवेदन, अंतिम प्रतिवदेन प्र०पी०–1, आहत चोवाराम का मुलाहिजा आवेदन प्र०पी०–10 पेश किया है, जिससे दर्शित है कि चौकी–करेली बड़ी, थाना–मगरलोड जिला धमतरी द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध धारा 279, 337, 304A भारतीय दण्ड संहिता का अभियोग पत्र प्र.पी.01 पेश किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **बिमला देवी व अन्य वि. हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य ए.आई.आर. 2009 पेज 2819** में यह निर्धारित किया गया है, कि पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान कार्यवाही की गयी है, तब उसे सुसंगत साक्ष्य मानते हुए ग्राह्य किए जाने योग्य है।

**14.** इस प्रकार आवेदक साक्षी के कथनों का खंडन नहीं हुआ है तथा अभियोग पत्र प्र.पी.01 से भी अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध उपधारणा करने का आधार है, जिसमें अन्वेषण उपरांत अनावेदक क्रमांक 01 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाने का निष्कर्ष पाते हुए अभियोग पत्र पेश किया गया है। अतः प्रकरण में यह प्रमाणित है, कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 ने प्रश्नगत वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को ठोकर मार दिया, जिससे कि घटना स्थल पर गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गयी। अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष "हां"** में दिया जाता है।

## ।। वाद प्रश्न क्रमांक 02, 03 एवं 04 पर सकारण निष्कर्ष ।।

**15.** अनावेदक क्रमांक 01 रविशंकर दिवाकर के द्वारा वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 को बीमाकृत होना लेख किया है। आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज की छायाप्रति के अनुसार उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 01 है और उक्त वाहन बजाज एलियांज नरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दिनांक 14–01–2023 से 13–01–2028 तक की अवधि तक बीमित है। अनावेदक क्रमांक 01 रविशंकर दिवाकर को जारी चालक अनुज्ञप्ति की वैधता दिनांक 28–02–2037 तक है, जिसका खण्डन अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से नहीं है और न ही अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बीमा शर्तों के उल्लघंन में प्रश्नगत वाहन को चालन किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह दर्शित नहीं है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 13/AU/3256 को बीमा पॉलिसी के शर्तों के उल्लघंन में चालन किया था। तद्नुसार वाद प्रश्न क्रमांक **02** एवं **03** का निष्कर्ष **"हां"** एवं वाद प्रश्न क्रमांक **04** का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** में दिया जाता है।

## ।। वाद प्रश्न क्रमांक 05 पर निष्कर्ष एवं उसके आधार ।।

**16.** योगदायी उपेक्षा के संदर्भ में यह प्रतिपादित है कि "कोई व्यक्ति सहभागी उपेक्षा का दोषी है यदि उसे यथोचित रूप से यह अनुमान होना चाहिये था कि यदि उसने विवेकशील व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं किया तो वह

स्वयं को चोट पहुंचा सकता है।" अर्थात् जिस व्यक्ति ने स्वयं दुर्घटना में योगदान दिया है, वह अपनी उपेक्षा की सीमा तक दुर्घटना में लगी क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। इस संबंध में माननीय न्याय दृष्टांत **Khenyei vs New India Assurnace Co. Ltd. & Ors 2015 (9) SCC 273** अवलोकनीय है।

**17.** उक्त मार्गदर्शन पर यह भी विचारणीय है, कि एक विवेकपूर्ण चालक से यह अपेक्षा की जाती है कि आवश्यक सावधानी बरतने में ऐसे कार्य या चूक से बचे, जिनसे किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगने की युक्तियुक्त संभावना हो। ऐसे कर्त्तव्य या उपेक्षा की मात्रा प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्भर रहती है। दुर्घटनाकारी चालक का कर्त्तव्य है कि लोक मार्ग पर वह और अधिक सर्तकता से वाहन का चालन करेगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है, कि घटना का समय 19.30 बजे ग्राम–नवागांव, बारदाना गोदाम के पास की है तथा अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा मृतक के वाहन को पीछे से ठोकर मारने के कारण मृतक उछलकर सामने गिरने से गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने का तथ्य है। इस संबंध में आवेदक भूमिका साहू (आ.सा.–01) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है, कि घटना के समय मृतक हेलमेट नही पहना था, इस तथ्य को मृतक के साथ मोटर सायकल में सवार, साक्षी चोवाराम (आ.सा.–2) ने भी स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त अन्य खण्डनीय सुझाव प्रकट नही है । दुर्घटनाकारित मोटर सायकल के चालक द्वारा मृतक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है, कि मृतक ने मोटर वाहन अधिनियम की वैधानिक नियम के विपरीत मोटर सायकल का चालन किया है। इस प्रकार उक्त दुर्घटना में मृतक वीरेन्द्र कुमार साहू की योगदायी उपेक्षा का कारण प्रकट नहीं हो रहा

था। तद्नुसार **वाद प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं"** में दिया जाता है।

## ।। वाद प्रश्न क्रमांक 06 पर निष्कर्ष एवं उसके आधार ।।

**18.** इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार आवेदिकागण पर है। आवेदकगण का यह अभिवचन है कि आवेदिका क्रमांक 01 मृतक की पत्नि , आवेदक क्रमांक 02 से 04 मृतक के पुत्र एवं आवेदक क्रमांक 05 मृतक की मां एवं आवेदक क्रमांक मृतक के पिता है और उस पर आश्रित है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है, कि अनावेदक क्रमांक 01 प्रश्नगत वाहन के चालक एवं पंजीकृत स्वामी एवं अनावेदक क्रमांक 02 प्रश्नगत वाहन का बीमाकर्ता कंपनी है। वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में आया है, कि अनावेदक क्रमांक 01 ने प्रश्नगत वाहन को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक जिस मोटर सायकल में सवार था, उसे पीछे से ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिसके परिणामस्वरूप वीरेन्द्र कुमार साहू की मृत्यु हुई। अतः आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

**19.** अब प्रश्न यह है कि आवेदिकागण को कितनी क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे ? क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु मृतक की आयु, आय एवं आश्रितों की संख्या का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

**20.** मृतक के आयु के संबंध में आवेदक भूमिका साहू (आ.सा.–01) ने कथन किया है कि उसका पति 35 वर्ष का था। इस संबंध में

आवेदिकागण के द्वारा पेश अभियोग पत्र के साथ संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 35 वर्ष होना उल्लेखित है, आवेदक के द्वारा मृतक के उम्र के संबंध में और कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः आवेदक के कथन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु 35 वर्ष माना जाना उचित होगा। अतः मृतक की आयु 35 वर्ष निर्धारित की जाती है।

**21.** मृतक के आश्रितों के संबंध में भूमिका साहू (आ.सा.–01) का कहना है, कि वह मृतक की पत्नि , आवेदक क्रमांक 02 से 04 मृतक के पुत्र एवं आवेदक क्रमांक 05 मृतक की मां एवं आवेदक क्रमांक मृतक के पिता है । इस संबंध में साक्षी चोवाराम (आ.सा.–02) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है, कि मृतक के पिता के पास कृषि भूमि है, और वह मृतक के परिवार का पालन पोषण करता है । अतः मृतक के आश्रितों की संख्या 06 निर्धारित की जाती है।

**22.** मृतक का कार्य एवं आय के संबंध में आवेदक साक्षी भूमिका साहू (आ.सा.–01) का कहना है कि मृतक वीरेन्द्र साहू मृत्यु के पूर्व पुराने मकान के छत, बीम, कालम तोड़ने का कार्य कर प्रतिमाह लगभग 15,000/– रूपये का आय प्राप्त कर लेता था, किन्तु मृतक के कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिसे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में मृतक के द्वारा छत, बीम, कालम तोड़ने का कार्य कर प्रतिमाह लगभग 15,000/– रूपये आय अर्जित करता था, मामले में प्रमाणित नहीं है, किन्तु मृतक कोई कार्य नहीं कर रहा था, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। मृतक 35 वर्षीय हष्ट पुष्ठ व्यक्ति था। अतः उसे अकुशल श्रमिक ही माना जाये तो जून 2023 के संदर्भ

में 10,000/– रूपये से कम नहीं आं की जा सकती। अतः मृतक की वार्षिक आय 1,20,000/– रूपये होगी। अतः मृतक की वार्षिक आय 1,20,000/– रूपये होगी।

23. अभिलेख में आये साक्ष्य से दर्शित है कि दुर्घटना के बाद मृतक डी०के०एस० अस्पताल रायपुर में ईलाजरत रहा है। किन्तु उपचार व्यय की पर्ची संलग्न नही है । अतः उपचार मद में किसी भी प्रकार की राशि आवेदकगण को दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वि प्रणय सेठी व अन्य स्पेशल लीव पीटिशन (सिविल) क्र. 25590 / 2014 निर्णय दिनांक 31.10.2017** में निधारित किया कि यदि स्वरोजगार प्राप्त या नियत वेतन वाले मृतक की आयु 40 वर्ष से कम हो, तो उसके भावी आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। यदि मृतक की आयु 40 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो तो 25 प्रतिशत की वृद्धि एवं 50 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो तो 10 प्रतिशत की भावी प्रत्याशा में वृद्धि की जायेगी। उक्त न्याय दृष्टांत की कंडिका 61 का उप–कंडिका 04 निम्नानुसार है :–

> **"In case of deceased was self-employed or on a fixed salary, an addition of 40% of the established income should be the warrant where the deceased was below the age of 40 years. An addition of 25% where the deceased was between the age of 40 to 50 years and 10% where the deceased was between the age of 50 to 60 years should be regarded as the necessary method of computation. The established**

**income means the income minus the tax component."**

25. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में सर्वप्रथम मृतक की स्थापित आय निकाला जाना होगा। निर्णय की पूर्व कंडिका में मृतक का वार्षिक आय 1,20,000/– रूपये निर्धारित की गई है, जो आयकर सीमा में आना दर्शित नहीं होता। अतः मृतक की स्थापित आय 1,20,000/– रूपये ही होगा। मृतक की आयु 35 वर्ष है। अतः उसके स्थापित आय में भविष्य की आय में वृद्धि 40% राशि जोड़े जाने पर 1,68,000/– रूपये वार्षिक होगी।

26. माननीय न्याय दृष्टांत **Sarla Verma (Smt.) and Ors. v. Delhi Transport Corporation and Anr. 2009 (6) SCC 121** तथा **Reshma Kumari & Ors vs Madan Mohan & Anr 2013 (9) SCC 65** सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेषण दिया है कि यदि मृतक विवाहित है तथा उसके आश्रितों की संख्या 04 से 06 है तो उसके निजी एवं रहन–सहन के मद में कटौती 1/4 होनी चाहिए। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त मार्गदर्शन के प्रकाश में मृतक की आमदनी का 1/4 हिस्सा 42,000/– रूपये स्वयं पर किया जाने वाला व्यय मानकर काटे जाने पर शेष राशि 1,26,000/– रूपये आता है। अभिलेख के अनुसार मृतक की आयु 35 वर्ष है। अतः सरला वर्मा (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित अनुसार 16 का गुणक लगाये जाने पर 1,26,000/– X 16 =20,16,000/– रूपये मृतक की आय पर आवेदकगण की कुल आश्रितता राशि निकलती है।

**27. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध श्रीमती सोमवती व अन्य सिविल अपील नंबर –3093/2020** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 के अनुसार कंसार्टियम की क्षति सभी को दिलाया जाना चाहिये। **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानुराम उर्फ चुहरू राम व अन्य (2018) SCC –129** के अनुसार Parental Consortium बच्चों के लिये, Spouse Consortium जीवित पति या पत्नी के लिये, Filial Consortium माता, पिता के लिये दिलाया जाना चाहिये।

**28.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वि प्रणय सेठी व अन्य (2017) 16 SCC 680** के आलोक में आवेदकगण को संपदा की हानि के मद में 15,000/– रूपये, अंतिम क्रियाकर्म के मद में 15,000/– रूपये एवं आवेदकगण को Parental Consortium और, Spouse Consortium हानि के लिये 40,000/– 40,000/– रूपये दिया जाना उचित होगा। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टांत में निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर 2017 से प्रति तीन वर्ष में उपरोक्त मद में 10% राशि की वृद्धि किये जाने का आदेश दिया गया है। अतः उक्त राशि में 10% राशि की वृद्धि किये जाने पर उक्त मद में कुल देय राशि **2,97,000/–** रूपये होगी।

**29.** अतः आवेदकगण को मदों में दी जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति राशि की गणना का सार निम्नानुसार है –

| क्रमांक | शीर्षक | संगणना |
|---|---|---|
| 01. | मृतक की आय 10,000/– रूपये मासिक | 10,000/– x 12 = 1,20,000/– रूपये वार्षिक |
| 02. | भविष्य की आय की संभावना 40% 48000/– रूपये | 1,20,000/– + 48000/– = 1,68,000/– रूपये |
| 03. | मृतक की वार्षिक आय का मृतक पर 1/4 भाग व्यय पश्चात् आश्रितता की हानि | 1,68,000/– (–) 42000/– = 1,26,000/– रूपये |
| 04. | 16 का गुणांक करने पर आश्रितता की हानि | 1,26,000/– x 16 = **20,16,000**/– रूपये |
| 05. | संपदा की हानि | 15,000/– x 10% = **16,500**/– रूपये |
| 06. | अंतिम क्रियाकर्म | 15,000/– x 10% = **16,500**/– रूपये |
| 07. | Spouse Consortium मृतक की पत्नी के लिये | 40,000/– x 10% = **44,000**/– रूपये |
| 08. | Parental Consortium मृतक के बच्चों के लिये | 40,000/– x 3 x 10% = **1,32,000**/– रूपये |
| 09 | Filial Consortium मृतक के माता, पिता के लिए | 40,000/– x 2 x 10% = **88,000**/– रूपये |
| **कुल क्षतिपूर्ति** | | **23,13,000/– रूपये** |

**30.** उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 04 के संबंध में यह निष्कर्ष दिया जाता है, कि आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्ततः व पृथकतः **23,13,000**/– (अक्षरी तेईस लाख तेरह हजार रूपये मात्र) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त राशि के भुगतान का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी का होगा।

**।। सहायता एवं व्यय ।।**

**31.** उपरोक्त वाद प्रश्नों के निष्कर्ष के आधार पर आवेदिकागण अपने दावा आवेदन को आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः आवेदिकागण का दावा आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है:–

**1.** आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथक–पृथक रूप से स्वीकृत क्षतिपूर्ति **23,13,000/–** (अक्षरी तेईस लाख तेरह हजार रूपये मात्र) पाने के अधिकारी है। उक्त राशि अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी पर है।

**2.** अनावेदकगण अधिनिर्णय तिथि से 30 दिवस के अंदर अधिनिर्णित राशि अधिकरण में जमा किया जावे।

**3.** निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक क्रमांक 01 को 50% एवं आवेदक क्रमांक 02 से 06 को 10%–10% की राशि दी जावे।

**4.** आवेदक क्रमांक 01 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि का 50% नगद एवं शेष 50% किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 05 वर्षों के लिए सावधि जमा के रूप में जमा किया जावे । उक्त राशि का ब्याज आवेदक क्रमांक 01 प्राप्त कर सकेगी ।

**5.** आवेदक क्रमांक 02 से 04 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि उनके वयस्कता प्राप्त होने तक किसी

राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जावे । उक्त राशि का ब्याज आवेदक क्रमांक 02 से 04 प्राप्त कर सकेंगे।

6. आवेदक क्रमांक 05 एवं 06 को प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि उनके बैंक बचत खाते में अंतरित की जावे।

7. आवेदिकागण आवेदन प्रस्तुति दिनांक 15–12–2023 से वसूली दिनांक तक कुल क्षतिधन की राशि पर 7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

8. यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि आवेदिकागण को प्रदान की गयी है तो उक्त राशि को अधिनिर्णित क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित किया जावे।

9. आवेदक क्रमांक 01 से 04 के पक्ष में जमा सावधि पर किसी तरह का ऋण व अग्रिम देय नहीं होगा।

10. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर देय होगा।

11. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

तदानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

**अधिनिर्णय मेरे निर्देश पर टंकित किया गया एवं खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।**

RADHESHYAM DHRUW
Digitally signed by RADHESHYAM DHRUW
Date: 2026.01.14 17:12:41 +0530

**(राधेश्याम ध्रुव)**
अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
धमतरी के अतिरिक्त अधिकरण
स्थान–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.)